न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 05/2014 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश कालरा पुत्र श्री ओम प्रकाश कालरा मालिक/विक्रेता
   मैसर्स — तान्या कम्यूनिकेशन, बी—7, फतेह टावर, नोगोरी गार्डन, भीलवाडा
   स्थाई पता— मकान संख्या—1A—6, बापुनगर, भीलवाडा।
2. श्री आदर्श शर्मा पुत्र श्री ईश्वर चन्द शर्मा (नोमिनी)
   फर्म — M//s Dabur India Limited, DIL Jaipr] CFA Khara No.296, Near Hotel Anokha Gaon,Opp. Jodla Power,House Sikar Road,Jaipur -302032
   स्थाई पता — 2—डी, सेक्टर—33, रेल विहार, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर, उतर प्रदेश—201301
3. कम्पनी — M//s Dabur India Limited, DIL Jaipr
   पता— CFA Khara No.296, Near Hotel Anokha Gaon,Opp. Jodla Power,House Sikar Road,Jaipur -302032
   पता—रजिस्टर्ड ऑफिस —8/3, Asaf Ali Road New Delhi-110002

——विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षीगण अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 27.06.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प—1(2)कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी संख्या 01 राकेश कालरा पुत्र श्री ओम प्रकाश कालरा मालिक/विक्रेता मैसर्स – तान्या कम्यूनिकेशन, बी–7, फतेह टॉवर, नागोरी गार्डन, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि कि आम जनता को विक्रय हेतु नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल के 03 कार्टून (गत्ता पैक) रखे हुए थे । एक कार्टून को खोलकर देखने पर प्रत्येक कार्टून में 500–500 एम.एल. के 24 बोतल प्लास्टिक पैक रखी हुई थी। एक बोतल को ध्यान से देखने पर Brand – DABUR COCONUT OIL, Batch-No.-PT-4599, Packed On-05/13, Net Weight-500 ml. (455 gm.), BEST BEFOR 8TH MONTH FROM PACKING, Mfg. By – DABUR INDIA LTD. 86-A, KHEDA INDUSTRIAL AREA, PITHAMPUR, Distt-Dhar (M.P.) अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की । मौके पर गवाहों की उपस्थिति में खाद्य कारोबारकर्ता ने बताया कि उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल 500ml का क्रय मैसर्स M//s Dabur India Limited, DIL Jaipr] CFA Khara No.296, Near Hotel Anokha Gaon,Opp. Jodla Power,House Sikar Road, Jaipur-302032 के इन्वाईस नम्बर 7113424898 दिनांक 10.06. 2013 से किया है। नियमानुसार नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। विपक्षी संख्या 01 द्वारा लिये गये खाद्य नमूने का क्रय विपक्षी संख्या 02 निर्माता फर्म से खाद्य नमूना क्रय करना बताया गया एवं साक्ष्य स्वरूप बिल की प्रति प्रस्तुत की । निर्माता फर्म के संविधान संबंधित सूचना प्राप्त कर, विपक्षीगण संख्या 01 से 03 के विरूद्ध न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेष की प्रति, फार्म 5ए की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, नमूना लिये गये फर्म से लेकर निर्माता फर्म तक किये गये पत्र व्यवहार की प्रतियां एवं प्राप्त प्रतिउत्तर, संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.07.2013 को समय 3:40 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स तान्या कम्यूनिकेशन, बी–7, फतेह टॉवर, नागोरी गार्डन, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत श्री राकेश कालरा पुत्र श्री ओम प्रकाश कालरा मालिक/विक्रेता उम्र 42 वर्ष ,जाति कालरा निवासी मकान संख्या–1 ए–6, बापूनगर, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु नारियल तेल,

बिस्कुट आदि आम जनता को विक्रय कर रहा था। मालिक/विक्रेता ने वर्ष 2013 का खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया।

मैसर्स तान्या कम्यूनिकेशन, बी–7, फतेह टावर, नागोरी गार्डन, भीलवाडा के मालिक/ विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल के 03 कार्टून (गत्ता पैक) रखे हुए थे। एक कार्टून को खोलकर देखने पर प्रत्येक कार्टून में 500–500 एम.एल. के 24 बोतल प्लास्टिक पैक रखी हुई थी। एक बोतल को ध्यान से देखने पर Brand – DABUR COCONUT OIL, Batch-No.-PT-4599, Packed On-05/13, Net Weight-500 ml. (455 gm.), BEST BEFOR 8TH MONTH FROM PACKING, Mfg. By – DABUR INDIA LTD. 86-A, KHEDA INDUSTRIAL AREA, PITHAMPUR, Distt-Dhar (M.P.) अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की एवं मौके पर गवाहों की उपस्थिति में खाद्य कारोबारकर्ता ने बताया कि उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल 500 ml का क्रय मैसर्स M//s Dabur India Limited, DIL Jaipr] CFA Khara No.296, Near Hotel Anokha Gaon,Opp. Jodla Power,House Sikar Road,Jaipur -302032 के इन्वाईस नम्बर 7113424898 दिनांक 10.06.2013 से किया है।

मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल के 500 ml के 4 बोतलें पैक्ड हालत में एक ही Batch-No.-PT-4599 के खाद्य कारोबारकर्ता से खरीदी । इस बाबत् 340/–रू. अक्षरे तीन सौ चालीस रूपयें मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की, रसीद की।

इन खरीदशुदा चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–532 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. एक्स–532 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. रमेश चन्द्र सामरिया द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सीलड नमूना भागों पर विक्रेता/मालिक श्री राकेश कालरा पुत्र श्री ओम प्रकाश कालरा के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका पंचनामा तैयार कर पढ़कर, पढ़ाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया । जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था, उसका मोनोग्राम मोके पर पंचनामें पर अंकित किया गया । साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स–525 को खाद्य

नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा एवं निर्माता फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं।

विपक्षी सं. 01 की ओर से दिनांक 16.10.2014 को जवाब प्रस्तुत किया गया । विपक्षी सं. 01 ने बताया कि लिये गये खाद्य नमुना सं. एक्स–532 नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल की जो जाँच खाद्य विश्लेषक , खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से करवाई गयी हैं, जो जाँच पूर्ण गुणवत्ता व मापदण्डों पर नही की गई हैं। जिससे जवाबदार कम्पनी का नारियल तेल का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया । वास्तविकता यह हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट में Polenske Value अनुमेय मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं होने से सैम्पल को सबस्टैण्डर्ड बताया है। Polenske Value से संबंधित जाँच एक उच्च विशिष्ट जाँच हैं एवं कई बार सही मापी नहीं जा सकती है। आप द्वारा लिये गये सैम्पल के एक भाग को विपक्षी सं. 03 द्वारा अपनी लेबोरेट्री में जाँच की गई व इसके अलावा विपक्षी सं. 03 द्वारा एक स्वतंत्र लेबोरेट्री चोकसी लेबोरेटरीज लिमिटेड, इन्दोर से करवाई गई । दोनों में Polenske Value अनुदेय मापदण्डों के अन्तर्गत है। ऐसी अवस्था में आवेदक द्वारा लिया गया सेम्पल सबस्टैण्डर्ड नहीं माना जा सकता हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

विभागीय पैरोकार ने इसका विरोध किया । विभागीय पैरोकार द्वारा बताया गया कि उक्त जाँच रिपोर्ट सेम्पल लिये जाने के बाद कम्पनी के स्वयं के द्वारा करवाई गई है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत विक्रेता एवं निर्माता फर्म को खाद्य नमूना जाँच रिपोर्ट की प्रति रजि. डाक द्वारा भिजवाई गई एवं नियमानुसार रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस भीतर रेफरल खाद्य प्रयोगशाला में जाँच हेतु भिजवाये जाने की अपील की जा सकती है। किन्तु विक्रेता एवं निर्माता फर्म के द्वारा निश्चित समय अवधि में कोई अपील नहीं की गई। अतः सबस्टेण्डर्ड नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल विपक्षी संख्या 01 द्वारा विक्रय करने एवं विपक्षी सं. 02 एवं 03 द्वारा निर्माण एवं विक्रय करने के लिये दोषी है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः शास्ति अध्यारोपित करने का निवेदन किया गया।

विभागीय पैरोकार की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. 305/एफएसएसए/ 2013/306 दिनांक के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, नारियल तेल (ब्राण्ड–डाबर अनमोल) मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड Substandard होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये नमूने में Polenske Value 13 से कम नहीं होनी चाहिए जबकि लिये गये नमूने में Polenske Value मात्र 7.0 ही पाई गई । सबस्टेण्डर्ड नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल विपक्षी संख्या 01 द्वारा विक्रय करने एवं विपक्षी सं. 02 एवं 03 द्वारा निर्माण एवं विक्रय करने के लिये दोषी है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षी सं. 01 द्वारा खाद्य पदार्थ का क्रय बिल प्रस्तुत कर दिया गया था । चूंकि विपक्षी सं. 01 द्वारा 'पैक' अवस्था में खाद्य

पदार्थ का क्रय कर, 'पैक' अवस्था में ही खाद्य पदार्थ का विक्रय किया है एवं साक्ष्यस्वरूप क्रय बिल की प्रतियां प्रस्तुत की है । अतः विपक्षी सं. 01 पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं होने से विपक्षी सं. 01 पर किसी भी प्रकार की शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी सं. 02 व 03 द्वारा सबस्टेण्डर्ड नारियल तेल ब्राण्ड डाबर अनमोल का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन है। अतः विपक्षी सं. 02 व 03 पर अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 02 पर 50,000/–रू. (अक्षरे पचास हजार रूपये) एवं विपक्षी सं. 03 पर 50,000/–रू. (अक्षरे पचास हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 02 व 03 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/06/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम) भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेषक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री राकेश कालरा पुत्र श्री ओम प्रकाश कालरा मालिक/विक्रेता
   मैसर्स – तान्या कम्यूनिकेशन, बी–7, फतेह टावर, नोगोरी गार्डन, भीलवाडा
   स्थाई पता– मकान संख्या–1A–6, बापुनगर, भीलवाडा।
5. श्री आदर्श शर्मा पुत्र श्री ईश्वर चन्द शर्मा (नोमिनी)
   फर्म – M//s Dabur India Limited, DIL Jaipr] CFA Khara No.296, Near Hotel Anokha Gaon,Opp. Jodla Power,House Sikar Road,Jaipur -302032
   स्थाई पता – 2–डी, सेक्टर–33, रेल विहार, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर, उतर प्रदेश–201301
6. कम्पनी – M//s Dabur India Limited, DIL Jaipr
   पता– CFA Khara No.296, Near Hotel Anokha Gaon,Opp. Jodla Power,House Sikar Road,Jaipur -302032
   पता–रजिस्टर्ड ऑफिस –8/3, Asaf Ali Road New Delhi-110002

27/06/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम) भीलवाड़ा (राज.)